

साहेबगंज समाहरणालय
जिला भू-अर्जन शाखा, साहेबगंज
समाहर्ता या समुचित सरकार
अधिघोषणा

[अधिनियम-30/2013 की धारा-19(1) के अधीन]

एल0ए0 वाद संख्या-97/2018-19/ 66 /भू0अ0, साहेबगंज, दिनांक- 31/01/2020

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता, साहेबगंज को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना लालबाँध से मोहनपुर पथ परियोजना हेतु ग्राम-रानीपुर, थाना-राजमहल, थाना सं0-151, अंचल-उधवा में कुल-0.696 एकड़ भूमि अपेक्षित है। इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश 0.696 एकड़ है और जो कि ग्राम-रानीपुर, थाना-राजमहल, थाना सं0-151, अंचल-उधवा, जिला-साहेबगंज में है जिसका विवरणी निम्नलिखित है :-

क्रम सं0	खाता संख्या	सर्वे भूखण्ड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखण्ड संख्या)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		68	रैयती	धानी दायम	0.086	बरसा हांसदा वगैरह, पिता-स्व0 पिथो हांसदा,	68P	सड़क	69P	सड़क
2		69	रैयती	धानी दायम	0.090	फ्रांसिस हेम्ब्रम मानवेल हेम्ब्रम आम्ब्रियस हेम्ब्रम, पे0-मथियस हेम्ब्रम	69P	69P	सड़क	सड़क
3		89	रैयती	धानी दायम	0.101	डुगरू मुर्मू भतु मुर्मू पिता-जकादार मुर्मू	89P	सड़क	89P	सड़क
4		91/1	रैयती	धानी दायम	0.030	दिलीप मंडल, पिता-स्व0 फुलचन्द मंडल, सा0-रामपुर	91P	सड़क	91P	सड़क
5		91/2	रैयती	धानी दायम	0.030	शिवचरण मंडल	92P	सड़क	91P	सड़क
6		92	रैयती	धानी दायम	0.047	सुफल मुर्मू	92P	सड़क	92P	सड़क
7		93	रैयती	धानी	0.078	मोतीलाल भगत दीगर	93P	सड़क	93P	सड़क
8		94	रैयती	धानी दायम	0.020	मंगल सोरेन रजित सोरेन अर्जुन सोरेन	94P	सड़क	94P	सड़क
9		95	रैयती	धानी	0.048	वनावास हांसदा	95P	सड़क	95P	सड़क
10		96	रैयती	धानी	0.015	मंगल सोरेन रजित सोरेन अर्जुन सोरेन	96	सड़क	119P	सड़क
11		119	रैयती	धानी	0.151	वर्ती देवी, बाबुधन हेम्ब्रम	119	120P	119P	सड़क
कुल रकवा-					0.696					

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं0-30/2013 की धारा-15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

ग्राम—.....X....., थाना—..... X, थाना सं०—..... X, अंचल—..... X, जिला—.....X..
....., क्षेत्रफल—.....X..... एकड़ यानिX..... हे० जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में
किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार नीचे दिये गये हैं :-

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम अन्तर्गत रैयतों को उचित
प्रतिकर यथा परिवहन भत्ता, पुनर्व्यवस्थापन भत्ता, जीवनयापन भत्ता यथा योग्य रूप से किया जायेगा।

31/1/2020
उपायुक्त,
साहेबगंज।